

देश की उपासना

(देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए)

वर्ष - 03

अंक - 60

जैनपुर, शुक्रवार, 18 अक्टूबर 2024

सान्ध्य दैनिक (संस्करण)

पेज - 4

मूल्य - 2 रुपये

संक्षिप्त खबरें
देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ होंगे 10 नवंबर को सेवानिवृत्ति

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजे आई) डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने जरार धिकारी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सभासे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार में ऐसे निर्वाचन मीटिंग्स को एक पत्र भेजा था, जिसमें उनसे प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार सिफारिश करने का कहा गया था। सीजे आई चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उन्होंने 17 दिसंबर, 2022 को पद की शपथ ली और भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। शपथ लेने के बाद जरिस्टर्स चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में महान्मा गधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अपित की थी। उनके पिता वाईरी चंद्रचूड़ भारत के सभासे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश (सीजे आई) रहे और 22 फरवरी, 1978 से 11 जुलाई, 1985 तक इस पद पर रहे।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के 10 नवंबर, 2024 से 13 मई, 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की उमीद है। सीजे आई के बाद सुप्रीम कोर्ट में सभासे वरिष्ठ न्यायाधीश खन्ना का नवाची 2019 में शीर्ष अदालत में पदोन्नत होने के बाद से एक उल्लेखनीय न्यायिक करियर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति ने विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि उन्होंने 33 वरिष्ठ न्यायाधीशों को नजरअंदाज कर दिया था।

शराबबंदी केवल सरकारी फाइलों में लागू - प्रशांत किशोर

बिहार, एजेंसी। बिहार में शराबबंदी गहन जांच के दायरे में है। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर, इसे महज औपचारिकता बताते हुए कहा कि यह केवल सरकारी दस्तावेजों और राजनीतिक बायानबाजी में मौजूद है। किशोर ने इतिपाणी हाल ही में हुई जहरीली शराब त्रासदी के बाद आई है, जिसमें सिवान और सराण में 25 लोगों की जान चली गई है।

मैंने राज्य की बागडोर संभाली। मेरा एकमात्र उद्देश्य झारखंड के पेंड को हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पार्टी ने 20 वर्षों से अधिक समय तक राज्य को लूटा।

मैंने राज्य की बागडोर संभाली। मेरा एकमात्र उद्देश्य झारखंड के पेंड को हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह सार्वजनिक रूप से यह कह रहा हूं कि बिहार में कहीं भी शराबबंदी लागू नहीं है। शराबबंदी सिफ सरकारी फाइलों और नेताओं के भाषणों में ही लागू होती है। उन्होंने कहा कि कल की घटना बहुत दुखद है। डेल साल पहले छारप में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जहां जहरीली शराब से लोगों की मौत नहीं हुई हो।

दिवाली से पहले होगी बढ़े डीए की घोषणा



लखनऊ, संवाददाता। दिवाली से पहले यूपी के कर्मचारियों को भी महांगई भत्ता दी जाएगी। इसका लाभ 10 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को मिलेगा। वर्तमान में यहां के कर्मचारियों और शिक्षकों

को मूल वेतन पर 50 प्रतिशत डीए मिल रहा है। केंद्र के समान ही तीन प्रतिशत वृद्धि होगी, जो जुलाई से लागू होगी। केंद्र सरकार में लगभग एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और शिक्षकों को प्रतिशक्ति डीए की भी मूल वेतन का 50% हो गई थी। इस भत्ते की गणना पिछले 12 महीनों के अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, यह सरकारी वेतन और पेशन के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, जब महांगई भत्ता मूल वेतन का 50% हो जाता है, तो मकान किराया भत्ता समेत कई भत्ते स्वतः सारोधन के दायरे में आ जाते हैं।

भारत की लाजिस्टिक लागत दो साल में घटकर एकल अंक में आ जाएगी - गडकरी

हरियाणा, एजेंसी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत की 'लाजिस्टिक' लाभ अगले दो साल में घटकर एकल अंक में आ जाएगी। निति आयोग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि मंत्रालय कई राजमार्गों तथा एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है, जिससे भारत की लाजिस्टिक लागत को कम करने के बीच थी। गडकरी ने कहा कि भारत के लिए वैकल्पिक ईंधन और जैव ईंधन के निर्तात्मक भव्य समावनाएं हैं। उन्होंने एकल अंक में आ जाएगी। निति आयोग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि रेखांकित किया। मंत्री ने साथ ही कहा कि उनका लक्ष्य भारतीय मोटर वाहन उद्योग को विश्व में पहले खाना पान पर लाना है। इसके लिए उपयोगी होने की बात को भी रेखांकित किया। मंत्री ने साथ ही कहा कि उनका लक्ष्य कई राजमार्गों तथा एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है, जिससे भारत की लाजिस्टिक लागत को कम करने के बीच थी। गडकरी ने कहा कि भारत के सभासे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश (सीजे आई) रहे और 22 फरवरी, 1978 से 11 जुलाई, 1985 तक इस पद पर रहे।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के 10 नवंबर, 2024 से 13 मई, 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की उमीद है। सीजे आई के बाद सुप्रीम कोर्ट में महान्मा गधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अपित की थी। उनके पिता वाईरी चंद्रचूड़ भारत के सभासे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश (सीजे आई) रहे और 22 फरवरी, 1978 से 11 जुलाई, 1985 तक इस पद पर रहे।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के 10 नवंबर, 2024 से 13 मई, 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की उमीद है। सीजे आई के बाद सुप्रीम कोर्ट में महान्मा गधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अपित की थी। उनके पिता वाईरी चंद्रचूड़ भारत के सभासे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश (सीजे आई) रहे और 22 फरवरी, 1978 से 11 जुलाई, 1985 तक इस पद पर रहे।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के 10 नवंबर, 2024 से 13 मई, 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की उमीद है। सीजे आई के बाद सुप्रीम कोर्ट में महान्मा गधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अपित की थी। उनके पिता वाईरी चंद्रचूड़ भारत के सभासे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश (सीजे आई) रहे और 22 फरवरी, 1978 से 11 जुलाई, 1985 तक इस पद पर रहे।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के 10 नवंबर, 2024 से 13 मई, 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की उमीद है। सीजे आई के बाद सुप्रीम कोर्ट में महान्मा गधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अपित की थी। उनके पिता वाईरी चंद्रचूड़ भारत के सभासे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश (सीजे आई) रहे और 22 फरवरी, 1978 से 11 जुलाई, 1985 तक इस पद पर रहे।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के 10 नवंबर, 2024 से 13 मई, 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की उमीद है। सीजे आई के बाद सुप्रीम कोर्ट में महान्मा गधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अपित की थी। उनके पिता वाईरी चंद्रचूड़ भारत के सभासे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश (सीजे आई) रहे और 22 फरवरी, 1978 से 11 जुलाई, 1985 तक इस पद पर रहे।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के 10 नवंबर, 2024 से 13 मई, 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की उमीद है। सीजे आई के बाद सुप्रीम कोर्ट में महान्मा गधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अपित की थी। उनके पिता वाईरी चंद्रचूड़ भारत के सभासे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश (सीजे आई) रहे और 22 फरवरी, 1978 से 11 जुलाई, 1985 तक इस पद पर रहे।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के 10 नवंबर, 2024 से 13 मई, 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की उमीद है। सीजे आई के बाद सुप्रीम कोर्ट में महान्मा गधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अपित की थी। उनके पिता वाईरी चंद्रचूड़ भारत के सभासे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश (सीजे आई) रहे और 22 फरवरी, 1978 से 11 जुलाई, 1985 तक इस पद पर रहे।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के 10 नवंबर, 2024 से 13 मई, 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की उमीद है। सीजे आई के बाद सुप्रीम कोर्ट में महान्मा गधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अपित की थी। उनके पिता वाईरी चंद्रचूड़ भारत के सभासे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश (सीजे आई) रहे और 22 फरवरी, 1978 से 11 जुलाई, 1985 तक इस पद पर रहे।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के 10 नवंबर, 2024 से 13 मई, 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की उमीद है। सीजे आई के बाद सुप्रीम कोर्ट में महान्मा गधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अपित की थी। उनके पिता वाईरी चंद्रचूड़ भारत के सभासे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश (सीजे आई) रहे और 22 फरवरी, 1978 से 11 जुलाई, 1985 तक इस पद पर रहे।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के 10 नवंबर, 2024 से 13 मई, 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप म

